



(प्रदेशन पत्र)

पत्र संख्या

/स०प्र०/झांसी/

/दिनांक

सेवा में

श्री/श्रीमती/कुमारी

महोदय/महोदया,

आपके पंजीकरण संख्या

के विरुद्ध आपके सहमति पत्र दिनांक

के आधार पर दिनांक

को लाट्री से झांसी नगर की तालपुरा योजना में आपको

भवन/भूखण्ड संख्या

नकद/आधा नकद/किस्त क्रय पद्धति पर परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य

शर्तों के अधीन आवंटित किया गया है जिसके विरुद्ध दिनांक

तक निम्नलिखित विवरण के

अनुसार भुगतान अपेक्षित है।

(क) भूखण्ड का क्षेत्रफल

भूमि मूल्य रु०

भवन निर्माण लागत रु०

भूखण्ड सहित भवन का मूल्य रु०

(ख) जमा पंजीकरण धनराशि रु०

उक्त पर दिनांक

से

तक

6 प्रतिशत की दर से ब्याज रु०

योग रु०

(ग) नकद क्रय पर भुगतान योग्य धनराशि रु०

(घ) आधा/नकद/किस्त क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशि रु०

(च) विविध शुल्क

1. वार्षिक लीजरेन्ज रु०

की दर

से वर्षों के लीजरेन्ज रु०

2. बिलेख निष्पादन व्यय रु०

3. जल संयोजन व्यय रु०

4. अन्य रु०

5. विविध शुल्कों का योग रु०

1. अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि रु०

2. प्रथम किस्त के साथ एक मुस्त / आधा नकद देय धनराशि रु०

3. शेष धनराशि निकटतम रु० 100

के पूर्णांक में

रु०

4. अवशेष मूल्य रु०

पर

प्रतिशत ब्याज लगाकर

बनायी गयी

मासिक

किस्तों में से प्रथम किस्त जो

दिनांक

से देय होगी रु०

5. जमा योग्य धनराशि (योग) रु०

प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

नोट- 1. किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर

प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

2. न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको

भुगतान करना होगा।

उपरोक्त विवरण के अंश (ग) अथवा (घ) में अंकित धनराशि पी.एन.बी. सीपरी बाजार, झांसी में परिषद के खाते में तथा (च) की धनराशि आई.ओ.बी. सीपरी, झांसी परिषद के खाते में दिनांक तक अवश्य जमा करनी होगी। आवंटी उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण के लिए निर्धारित धनराशि रु० का 20 प्रतिशत जमा करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो आवंटी न तो निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करते हैं और न ही आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कोई लिखित सूचना देते हैं उन्हें एक अन्य पंजीकृत नोटिस द्वारा 15 दिन के अन्दर वांछित धनराशि जमा करने हेतु प्रेषित किया जायेगा और यदि फिर भी आवंटी वांछित धनराशि नोटिस निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर नहीं जमा करते हैं तो निर्धारित वर्तमान पंजीकरण धनराशि रु० का 20 प्रतिशत के साथ-साथ आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से सम्पत्ति के कुल मूल्य पर प्रतिशत की दर से निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवंटित सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी। पंजीकरण पत्र प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवंटित सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी। यदि किसी मामले में आवंटी द्वारा अतिरिक्त समय लिया जाता है अथवा अन्य पत्राचार में अधिक समय लगता है तो प्रदेशन पत्र की तिथि से निरस्त कर दी जायेगी।